बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अवमाननवाद संख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 सुर्दशन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार के द्वारा विज्ञापन संख्या–01/97 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बी0सी0जी0 प्रावैधिकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 321 उम्मीदवारों के साथ बी0सी0जी0 दलनायकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित परन्तु नियुक्ति से वंचित शेष वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–30.09.2018 तक 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उन उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है.

उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन के तहत पूर्व में वर्ष 2000 ई0 में प्रथम समव्यवहार में बी0सी0जी0 प्रावैधिकों के कुल 109 वैसे उम्मीदवारों तथा बी0सी0जी0 दलनायकों के लिए कुल 37 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी जो उक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप सरकारी संस्थान (टी0बी0डी0सी0, पटना एवं दरभंगा) से प्रशिक्षित थे, परन्तु सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 सुर्दशन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश में प्रशिक्षित उम्मीदवारों के अलावा शेष उम्मीदवारों को भी नियुक्ति हेतु अनर्ह नहीं बताया गया।

अतएव उक्त अवमाननावाद में दिनांक–31.08.2018 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित बी0सी0जी0 प्रावैधिकों एवं बी0सी0जी0 दलनायकों के निम्नांकित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवार जो दिनांक–27.04.2018 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुके है, वें निर्धारित तिथि एवं समय पर विकास भवन, नया सचिवालय स्थित स्वास्थ्य विभागीय सभागार में सभी आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थित उम्मीदवारों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

क्र0	सत्यापन की तिथि एवं समय	उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	**10.09.2018** (पूर्वाह्न 10:30 बजे) (बी0सी0जी0 प्रावैधिक)	46559 42716 46059 43020 40590 41777 47266 43009 43507 43205 45135 44830 43007 42132 46091 46053 44317 47104 42563 44654 42793 44205 46993 43089 43202 43781 44724 45445 45316 41555 46272 45050 43724 42940 45690 38148 47099 42290 44929 46580 44332 43269 42192 42188 41105 45247 44144 47228 43354 41267 40923 46663 45291 43398 47385 46684
2.	**11.09.2018** (पूर्वाह्न 10:30 बजे) (बी0सी0जी0 प्रावैधिक)	44696 41192 40847 45848 46158 46192 43169 40941 45035 42503 44252 41562 41113 43510 40232 44095 43261 42986 40497 46020 44660 47241 41190 45767 46972 42906 46986 40819 46671 45688 40292 45320 45689 41502 41540 45127 42291 46006 43350 46015 45338 43600 47289 40964 40073 41802 47337 46876 42767 42793 43350

3.	11.09.2018 (पूर्वाह्न 10:30 बजे) (बी0सी0जी0 दलनायक)	38148 38007 38169 38256 38048 38149 38023

(2) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए वे निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रति की दो–दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो :–

1. सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ।
2. आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ।
3. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
5. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)।
6. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
7. स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का 2 फोटो।
8. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र कि समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।
9. अनुभव प्रमाण–पत्र/प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं अन्य अभिलेख जो आपके द्वारा आयोग को समर्पित किया गया है।
10. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोटः– 1. अनुक्रमांक–44091 के उम्मीदवार के मृत्यु हो जाने के कारण नियुक्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

2. वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–27.04.2018 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये है परन्तु दिनांक–30.09.2018 तक 60 वर्ष की आयु पूरे नहीं किये हों वें दिनांक–12.09.2018 के पूर्वाह्न 10:30 बजे में उपस्थित हो सकते है।

3. उपर्युक्त सूचना स्वास्थ्य विभाग के वेवसाईट *WWW.health.bih.nic.in* पर उपलब्ध है।

5/9/18

(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।